न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/528/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

शंकरी वगैरह **उनवान** **बनाम** **हांसु वगैरह**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 :–

निर्णय दिनांकः **30.04.2026**

–:निर्णयः–

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि–

1. यह कि वादी का यह वाद पैतृक सम्पत्ति के खातेदारी अधिकारी की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् हैं किन्तु वादग्रस्त सम्पत्ति के पैतृक होने संबंधित कोई दस्तावेज, प्रमाण वादीगण ने वाद में पेश ही नही किए है जबकि यह सम्पत्ति प्रतिवादी प्रार्थी ने स्वयं अपनी व्यक्तिगत आय से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की हैं जिस पर एक मात्र कब्जा प्रार्थी/प्रतिवादी हांसु का हैं जिसके दस्तावेज प्रार्थी ने पेश कर रखे हैं और इसी आधार पर वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 14.02.2024 को खारीज भी हुआ है जो पत्रावली पर है।
2. यह कि पैतृक सम्पति में हिस्सा वादीगण का प्रार्थी/प्रतिवादी हांसु की मृत्यु के बाद ही सृजित होगा। वादीगण ने जान बुझकर अप्रार्थी को वृद्धावस्था में परेशान करने हेतु पेश कर रखा हैं। अप्रार्थी के जिन्दा जी स्वअर्जित सम्पत्ति में वादीगण का कोई हिस्सा किसी भी कानून के अनुसार नही मिल सकता ऐसी सुरत में प्रार्थीगण ने विधि का दुरूप्रयोग करते हुए विधि की अनभिज्ञता से प्रस्तुत कर दिया जो विधि द्वारा वर्जित हैं। वादीगण का वाद अर्थहीन तथा माननीय न्यायालय व प्रतिवादीगण का समय बर्बाद करने वाला है।
3. यह कि ऐसी स्थिति में वाद कारण भी नही बनता है वादीगण द्वारा वर्णित वाद हेतुक गलत हैं इसलिए इस नियम के अन्तर्गत वाद प्रारम्भिक प्रक्रम पर ही निरस्त किया जाना चाहिए अर्थात वाद प्रश्न (तनकीयात) कायम करने के पूर्व ही निरस्त करना चाहिए।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद निरस्त किया जाकर प्रतिवादी हांसु को वादीगण से विशेष हर्जाना दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब वादीगण की ओर से निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि–

1. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है मौरूसी आराजी होना साक्ष्य से साबित किया जायेगा।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय का समय जाया करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र में वाद कारण सही दर्शाया गया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन

विशेष कथन– प्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब पेश कर दिया है तनकीयात कायम हो चुकी है इस स्तर पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के पैतृक होने सम्बन्धी कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण वादपत्र में पेश नही किये है जबकि सम्पत्ति प्रतिवादी प्रार्थी ने स्वयं अपनी व्यक्तिगत आय से क्रय की है। वादी द्वारा पैतृक सम्पत्ति होने संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, साथ ही पैतृक सम्पत्ति में वादीगण का हिस्सा प्रतिवादी हांसु की मृत्यु के बाद ही सृजित होगा, वादीगण ने जानबूझकर अप्रार्थी को वृद्धावस्था में परेशान करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही वादवर्णित हेतुक भी गलत है। अतः आदेश 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर गहन मनन किया। प्रस्तुत वादपत्र में पैतृक सम्पत्ति के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुतः नही किये गये है, साथ ही वादी द्वारा वादवर्णित हेतुक गलत है अतः वाद पत्र चलने योग्य नही है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरपर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन